

कार्यालय प्राचार्य/नोडल, राजकीय महाविद्यालय बाडी जिला धौलपुर

E-mail : govtcollegebari15@gmail.com

क्रमांक:रामहावि बाडी/वि.स./2022/ 839

दिनांक- 01/08/2022

विज्ञप्ति


आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक:एफ 1 () विद्या संबल/आकाशि/गे.फै./दिशा निर्देश/21/81 दिनांक 14.07.2022 की अनुपालना में निम्न विषयों के अनुभवी व्यक्तियों से गेस्ट फ़ैकल्टी के रूपमें देय मानदेय पर बजट की उपलब्धता की शर्त के अध्याधीन आवेदन दिनांक 10.08.2022 को सांयकाल 5.00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। पत्र अभ्यर्थी मूल आवेदन व्यक्तिशः या डाक द्वारा निर्धारित तिथि तक प्रेषित कर सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। इस हेतु महाविद्यालय शिक्षा सेवा नियम 1986 में सहायक आचार्य पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यताधारी अभ्यर्थी ही आवेदन करें। एक से अधिक महाविद्यालयों के लिए आवेदन पृथक-पृथक रूप में प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी को शपथ पत्र भरकर आवेदन पत्र (जिसमें महाविद्यालय का नाम जिसके लिए आवेदन किया है) के साथ देना होगा। इसके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा। अधिक जानकारी के लिए महाविद्यालय की वेबसाइट <https://hte.rajasthan.gov.in/college/qcbari> पर आवेदन पत्र का प्रारूप, न्यूनतम योग्यता, शर्त, शपथ पत्र आदि देखें।

| क्र.सं. | महाविद्यालय का नाम | विषय | रिक्त पदों की संख्या |
|---------|-------------------------------|------------------|----------------------|
| 1. | राजकीय महाविद्यालय बाडी | राजनीति विज्ञान | 01 |
| | | भूगोल | 01 |
| | | इतिहास | 01 |
| | | हिन्दी | 02 |
| | | भौतिकशास्त्र | 01 |
| | | रसायनशास्त्र | 01 |
| | | गणित | 01 |
| | | वनस्पतिशास्त्र | 01 |
| | | प्राणीशास्त्र | 01 |
| 2. | राजकीय कन्या महाविद्यालय बाडी | राजनीति विज्ञान | 01 |
| | | भूगोल | 01 |
| | | इतिहास | 01 |
| | | हिन्दी साहित्य | 01 |
| | | अंग्रेजी साहित्य | 01 |
| | | उर्दू | 01 |
| | | संस्कृत | 01 |

नोट- 1. गत वर्ष विद्या संबल योजना के अन्तर्गत अध्यापन करवाने वाली गेस्ट फ़ैकल्टी, जिन के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया है कि 'In the meanwhile respondents shall not engage any one else in place of the petitioners in Vidhya sambal yojna' के प्रभावी रहने तक नवीन गेस्ट फ़ैकल्टी को आमंत्रित नहीं किया जावेगा।

2 राज्य सरकार के निर्देशानुसार अध्यापन कार्य राजस्थान कॉलेज एज्युकेशन सोसाइटी के गठन होने तक विषय विशेषज्ञों की उपलब्धता निर्धारित हो सकेगी।

प्रतिलिपि :-


प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय बाडी